

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रेल के क्रमशः वित्त लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं की जांच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ रिपोर्ट के [अध्याय 1 तथा 2](#) में अन्तर्विष्ट है।

रिपोर्ट के [अध्याय 3](#) में परिसंपत्तियों के लेखांकन, परिसंपत्ति अभिलेखों के अनुरक्षण, परिसंपत्तियों का मूल्यहास, पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के प्रकटन, निराकृत परिसंपत्तियों का लेखांकन, भारतीय रेलवे में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से सृजित परिसंपत्तियों के प्रकटन पर लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल है।

प्रतिवेदन में प्रयुक्त संकेताक्षरों की सूची

| इकाई | संकेताक्षरों का विस्तार रूप |
|-------------|-----------------------------|
| म.रे. | मध्य रेलवे |
| पू.रे. | पूर्व रेलवे |
| पू.म.रे. | पूर्व मध्य रेलवे |
| पू.त.रे. | पूर्व तट रेलवे |
| उ.रे. | उत्तर रेलवे |
| उ.म.रे. | उत्तर मध्य रेलवे |
| उ.पू.रे. | पूर्वोत्तर रेलवे |
| उ.पू.सी.रे. | पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे |
| उ.प.रे. | उत्तर पश्चिम रेलवे |
| द.पू.म.रे. | दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे |
| द.म.रे. | दक्षिण मध्य रेलवे |
| द.पू.रे. | दक्षिण पूर्व रेलवे |
| द.रे. | दक्षिण रेलवे |
| द.प.रे. | दक्षिण पश्चिम रेलवे |
| प.रे. | पश्चिम रेलवे |
| प.म.रे. | पश्चिम मध्य रेलवे |
| मेट्रो रे. | मेट्रो रेलवे कोलकाता |